Khallas - E.R. (7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699779

किस्म दस्तावेज	:–	विक्रय विलेख
स्टाम्प	:–	1,27,400 / –रू0

भूमि मूल्यांकन पेज नं0 20 क्रम संख्या 3 कम्प्यूटर कोड नं0 1049 जो भाग 2 (ख) (I) पर स्थित है सामान्य भूमि प्रस्तावित दर 8,00,000 / –रू0 प्रतिहेक्टेयर से भूमि की मालियत 9,17,000 / –रू0 है भूमिधरी में कच्चा कुँआ बना है जिसकी मालियत 23,000 / –रू0 है इस प्रकार कुल मालियत 9,40,000 / –रू0 है विक्रय मूल्य 12,73,500 / –रू0 है इसलिए स्टाम्प शुल्क विक्रय मूल्य पर अदा किया गया है

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699780

(2)

1. भूमि का प्रकार :– कृषि भूमि

2. ग्राम :– ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी

3. सम्पत्ति का विवरण :– कुल विक्रयशुदा रकवा 1.146 है0

4. मापन की इकाई :– हैक्टेयर

5. सडक की स्थिति :– झाँसी ललितपुर मार्ग से डेढ़ किलोमीटर से अधिक दूर है आबादी से 600 मीटर से अधिक दूर है किसी भी सर्वऋतु मार्ग पर स्थित नहीं है

[illegible]   Rajesh Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 699781

(3)

6. प्रतिफल की राशि :- 12,73,500/-रू0 में से 6,63,500/-रू0 नगद व 4,10,000/-रू0 जरिये चैक नं0 099594 व 2,00,000/-रू0 जरिये चैक नं0 117365 दोनों ही चैक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक झॉसी के विक्रेता ने क्रेता से पूर्व प्राप्त कर लिया है।

7 :- प्रथम पक्ष की संख्या :- एक

8. द्वितीय पक्ष की संख्या :- एक

Rajesh Bansal

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

699782

(4)

9. <u>नाम विक्रेता (प्रथम पक्ष का विवरण)</u>:– श्री काशीराम तनय श्री भगुवा निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी

10. <u>नाम क्रेता (द्वितीय पक्ष का विवरण)</u> :– मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बसंल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
15000 रु.
पन्द्रह हजार रुपये
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
सत्यमेव जयते
Rs.15000
भारत INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 080736

(5)

यह विक्रय आज दिनांक 26.03.2008 ई० को श्री काशीराम तनय श्री भगुवा निवासी ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी (जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है) तथा मैसर्स इमामी रियलटी प्राईवेट लिमिटेड ऑफिस 97–ए सदर्न ऐवेन्यू कोलकाता द्वारा श्री राजेश बंसल पुत्र श्री ओ.पी. बसंल निवासी 808 ग्वालियर रोड झाँसी (जिन्हे आगे क्रेता कहा गया है) में निष्पादित किया गया है।

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 854478

विक्रय सम्पत्ति का विवरण :– आराजी मौजा ग्राम खैलार परगना व तहसील झाँसी जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खाता सं0	आराजी नम्बर	रकवा
45	1907	0.210 है0
	1908	0.117 है0
	1909	4.197 है0
	1992	0.534 है0
	1993	0.672 है0

कुल 5 किता रकवा 5.730 है0 में से 1/5 अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया है व भूमिधरी में एक कच्चा कुँआ बना है उसका भी 1/5 भाग वय किया गया है। भूमिधरी मुवैया जिसमें खेती हो रही है किस्म जमीन राकड़ सोंयम सिंचित है उक्त भूमिधरी में पेड़ नहीं है एवं कृषि भूमि है। कुल लगान 18.90/–रू0 वार्षिक है। उक्त भूमिधरी पुश्तैनी है।

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 854193

उक्त सम्पत्ति किसी भी प्रकार के विघ्न,प्रतिबन्ध,भार एवं बाधा आदि से पूर्णतया मुक्त एवं स्वतंत्र है तथा विक्रेता इसे क्रेतागण को बेचने एवं हस्तांतरित करने हेतु सहमत हो चुका है। इस सम्पत्ति को विक्रय करने के लिये पूर्ण रूप से सक्षमं है। विक्रेता को प्रतिफल के रूप में उपरोक्त रूपया प्राप्त हो गया है।

Rajesh Bansal

1000Rs.

(8)

1. यह कि उक्त वर्णित ढंग से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात विक्रेता,क्रेतागण को उपरिलिखित भूखण्ड हमेशा के लिये विक्रय एवं हस्तांतरित करता है। इस सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी सुखाधिकार तथा धन प्राप्ति के अधिकार या अन्य वे सभी अधिकार ,जो विक्रेता को प्राप्त थे, वे क्रेतागण को प्राप्त हो गये है।

Rajesh Bansal

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

(9)

2. यह कि उक्त सम्पत्ति को धारण एवं उपभोग करने का अधिकार क्रेतागण को पूर्ण स्वामी के रूप में प्राप्त होगा।

3. यह कि विक्रेता ने सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अधिकारों का त्याग क्रेतागण के पक्ष में करते हुए ,सम्पत्ति क्रेतागण को सौप दी है तथा कब्जा प्रदान कर दिया है। क्रेतागण अब इस सम्पत्ति को बिना किसी प्रतिबन्ध, विघ्न, भार एवं बाधा रहित सम्पत्ति का पूर्ण उपभोग एक स्वामी के रूप में स्वेच्छानुसार कर सकेगे।

4. यह कि यदि कोई व्यक्ति विक्रेता के माध्यम से सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी प्रकार के अधिकार , उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करता है, तो यह दावा इस विक्रय विलेख के आधार पर अवैधानिक व शून्य होगा।

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 649171

5. यह कि यदि विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कानूनी नुक्स मिल्कीयत, त्रुटि होने के कारण क्रेतागण को सम्बन्धित कुल सम्पत्ति अथवा उसके कुछ भाग अथवा उसके साम्पत्तिक अधिकारों से वंचित होना पडता है, तो विक्रेता को उस सीमा तक हानि या हानियों, जो वास्तविक रूप में होगी, की क्षतिपूर्ति अपनी तत्कालीन अन्य अस्तित्व में रहने वाली चल व अचल या दोनो सम्पत्तियों के द्वारा क्रेतागण वसूल करने के उत्तरदायी होगे। इसमें विक्रेता के वारिसानों को कोई एतराज नही होगा।

6. यह कि विक्रेता, इस सम्पत्ति को क्रेतागण द्वारा धारण या उपभोग करने के सम्बन्ध में भविष्य में समय समय पर किये जाने वाले आवश्यक कार्यो का दायित्व क्रेता को हस्तांतरित करता है।

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 649169

7. यदि विक्रय विलेख के पंजीकरण के पश्चात किसी प्रकार की देयता विक्रय तिथि के पूर्व की इस सम्पत्ति निकलती है अथवा किसी व्यक्ति, संस्था अथवा शासन द्वारा किसी प्रकार शुल्क, टैक्स लगान, किराया अथवा अन्य देय उस अवधि के मांगे जाते है, तब विक्रेतागण उक्त राशि को स्वयं जमा करेगा। ऐसा न करने पर क्रेतागण उक्त राशि को विक्रेता से अथवा उसकी और सम्पत्ति से वसूल लेवें। इसमें विक्रेता को कोई उज्र व एतराज नही होगा।

8. यह कि विक्रय की जाने वाली आराजी का सम्पूर्ण रकवा जो ग्राम खैलार तहसील व जिला झॉसी में स्थित है नक्शा नजरी संलग्न है।

9. यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है।

10. यह कि यदि किसी कारण यह विक्रय विलेख सक्षम अधिकारी, न्यायालय, फोरम अथवा अन्य द्वारा निरस्त अथवा शून्य धोषित कर दिया जाता है तब क्रेतागण, विक्रेता से प्रतिफल को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वसूल पाने के अधिकारी होगे।

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 649174

11. यह कि धारा से पूर्व उल्लिखित विक्रेतागण एवं क्रेतागण शब्द का वर्तमान तथा सदैव भविष्य में अर्थ जब तक कि वे प्रासंगिक रूप से विरोधी न हो विक्रेतागण तथा क्रेतागण ही होगा एवं उनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, उत्तराजीवी, विधिक प्रतिनिधिपत एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्ति भी सम्मिलित होगे। साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त नामांकित विक्रेता विक्रय विलेख के समस्त विवरणो एवं धराओं के प्रति विलेख में सबसे पहले दिये गये दिनांक को अपने हस्ताक्षर बनाता हूँ। उक्त फर्म ने दिनांक 27.07.2007 ई0 को बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्स की मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त क्रेता श्री राजेश बंसल को आराजी खरीदने हेतु अधिकृत किया है। बैनामा की खतौनी व खसरा व श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत है लिहाजा बदरूस्ती पूर्ण होस हवास के विक्रेता ने यह विक्रय विलेख तहरीर कर दिया कि समय पर काम आवै।

Rajesh Bansal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 649175

दिनांक :– 26.03.2008 ई0

प्रारूपकर्ता :– इकबाल अहमद वसीका नवीस तह: झांसी।

प्रस्तुत प्रकार के [illegible] का प्रारूप [illegible] श्री/श्रीमती हरिकृष्ण उपाध्याय [illegible]
निवासी [illegible]
के द्वारा प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर विक्रेता

बाबूलाल लखन लाल

Rajesh Bansal

गवाह बालकिशन S/ दीनानाथ नि० खैलार झांसी

गवाह Kamsan makrani S/. Ashfaq makrani
250 mukaryoma Jhansi (U.P.)

पत्र लेखक
अनुज्ञप्ति [illegible]
कोड [illegible]
दिनांक [illegible] तक विधिमान्य